राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– बन्शी धर योगी आर0ए0एस0

कदमा संख्या :– 187/2024 प्र0पत्र

1. हमीर S/o बालू गुर्जर वि0 चौहानो की कमेरी – ह0 करेड़ा प्रार्थी

बनाम

1. भासु S/o बख्तावर गुर्जर वि0 चौहानो की कमेरी – ह0 करेड़ा कोर्ट विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: दिनांक 6/8/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर वेदन किया कि ग्राम चौहानो की कमेरी पटवार हल्का उमरी तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता ख्या 4B आराजी नम्बर 1086, 309, 427, 428, 429, 449, 450, 491, 491, 492, 878, 905, 906, 907, 916, 917, 961, 962, 981, 989,

लकिता 20 रकबा 1.8210 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी तदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने ाते/ संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 6/6/24 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को वलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का धिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अदेंशा नही तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक द्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम चौहानो की कमेरी पटवार हल्का उमरी तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 4B आराजी नम्बर 1086, 309, 427, 428, 429, 449, 450, 491, 491, 492, 878, 905, 906, 907, 916, 917, 961, 962, 981, 989,

कुलकिता 20 रकबा 1.8210 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु त्थरगढी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक गोरखा को 700/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौंके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

संलग्नः– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा